न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2676/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पीरमोहम्मद पुत्र हाजीजान मोहम्मद जाति–व्योपारी मुसलमान निवासी–जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. भूराराम उर्फ चुडिया पुत्र स्व. मोहनलाल 2. राजूराम पुत्र स्व. मोहनलाल 3. प्रकाश पुत्र स्व. मोहनलाल जातियान–घांची, निवासी–जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली 4. कमरूदीन पुत्र अनवर 5. अब्दुलकरीम पुत्र अनवर 6. शफी मो0 मुत्र अनवर 7. मो0 रज्जाक पुत्र अनवर 8. गफार पुत्र अनवर 9. इमरान पुत्र अनवर 10. सदीका पुत्र अनवर 11. रफीका पुत्र अनवर 12. रहमत पुत्री अनवर 13. आंबिदा पुत्री अनवर 14. सलमा पुत्री अनवर 15. मेरूनिशा पत्नी अनवर 16. मु. बहु पत्नी करीम खां 17. अब्दुलरजाक पुत्र करमी खां 18. जमालुदीन पुत्र करीम खां 19. अतुररहमान पुत्र करीम खां जातियान व्योपारी निवासीगण जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली 20. तहसीलदार, जैतारण 21. पटवारी हल्का, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:23/09/2016

उपस्थितः. 1. श्री राजूनाथ चौलावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 07/02/2018

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–जैतारण, तहसील–जैतारण की सरहद में खसरा नम्बर 199/3 रकबा 12–16 बीघा प्रार्थी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा जमीन आई हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2069 की नकल साथ मे पेश है। मौजा जैतारण की सरहद मे खसरा नम्बर 202 रकबा 11.08 बीघा अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 की खातेदारी की व खसरा नम्बर 1999 रकबा 11 बीघा अप्रार्थीगण सं0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

4 से 19 की खातेदारी की आई हुई है। खतौनी नकल साथ में सलंग्न है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 199/3 रकबा 12.16 बीघा राजस्व नक्शा में अलग अलग तरमीम है। नक्शा में अलग दर्शित है तथा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 202 रकबा 11-08 बीघा अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 की खातेदारी की व खसरा नम्बर 199 रकबा 11 बीघा अप्रार्थीगण सं0 4 से 19 की खातेदारी आराजीयान सिवाजोड़ आये हुए है। ट्रेस नक्शा की प्रति साथ में सलंग्न है। प्रार्थी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 199/3 रकबा 12.16 बीघा है जो अप्रार्थीगण के खेत के खसरा नम्बर 202 रकबा 11-08 बीघा अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 की खातेदारी की व खसरा नम्बर 199 रकबा 11 बीघा के पश्चिमी तरफ स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने व मवेशी व कृषि कार्य हेतू साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 202 व खसरा नम्बर 199 मे से सलंग्न नजरी नक्शा मे दर्शित मार्क ए से बी रास्ता का उपयोग व उपभोग मे लेते आ रहे है इस प्रकार प्रार्थी नजरी नक्शा में बताये अनुसार अपनी खातेदारी की भूमिमें आते जाते रह रहें है। तथा इस खसरा नम्बर 199/3 की जमीन को काश्त करने आने जाने, हल, बैल, मवैशी मजदूर लाने ले जाने व ट्रेक्टर-ट्रोली लाने लेजाने के लिए रास्ता नजरी नक्शा में बताये अनुसार आया हुआ है। इस रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थी लेता आ रहा है। परन्तु कुछ समय से अप्रार्थीगण नजरी नक्शा मे बताये रास्ते से आने जाने में आनाकानी कर रहे है व रास्ता को बन्द करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण से द्वारा नजरी नकशा मे बताये मार्क ए से बी रास्ता में आने जाने मे आनाकानी की व रास्ता बन्द करने का एलानिया कहा तब प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। सलंग्न नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का भाग है। संलग्न नजरी नक्शा में बताया रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे नजदीक व सुलभ एक मात्र रास्ता आया हुआ है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के लिए आने जाने का एक मात्र रास्ता नजरी नक्शा मे दर्शाये अनुसार ही है परन्तु अप्रार्थीगण अब इस रास्ता को बन्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को आने जाने मे रोला टंटा उत्पन्न करने लगे। तब प्रार्थी ने इन खसरान की नक्शा की नकल ली। तब प्रार्थीगण को पता चला कि इस विवादित रास्ता का राजस्व नक्शा मे इन्द्राज नही है। तथा रास्ता नक्शा में तरमीम भी नहीं है। इसी बदनियति से अप्रार्थीगण ने इस रास्ता को बन्द करने की योजना बना रहे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का कहा। मगर अप्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया। जिससे प्रार्थी माफिक कानून उक्त रास्ता का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतू अप्रार्थीगण को इसकी राशि अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ता के सम्बन्ध में राशि अप्रार्थीगण को दिलवाई जाकर नजरी नक्शा में दर्शाया रास्ता 15 फुट चौडा किया जाकर रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जावें। प्रार्थी उक्त राशि अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 198/1 रकबा 2-05 बीघा व खसरा नम्बर 202 रकबा 11-08 बीघा की भूमि जबाब देहान्दागण की खातेदारी व कब्जा काश्त की हैं। जिस पर जबाब देहान्दागण का ही कब्जा एवं हक व अधिकार हैं तथा इन दोनों खसरा नम्बरान् की भूमियों पर जबाब देहन्दागण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं हैं तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बर 199 के तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साबित करें। लेकिन यहां पर यह भी उल्लेखनीय हैं कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 199 के सभी खातेदारों को वाद पक्षकार नहीं बनाया हैं। इसलिय प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त वर्णित अनुसार जबाब देहन्दागण की भूमि खसरा नम्बर 202 व 198/1 की भूमि मौके पर अलग से तरमीमसुदा आई हुई हैं तथा अन्य तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साबित करें। उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कथन असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199/3 की भूमि जबाब देहन्दागण की भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित होने के कथन भी झूंठे हैं। बल्कि वास्तविकता में जबाब देहन्दागण की खातेदारी भूमि के उत्तर तरफ खसरा नम्बर 199 की भूमि स्थित हैं। तत्पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199/3 की भूमि होना बताया गया हैं। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार हैं। उक्त वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूंठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार हैं। वास्तविक में प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता जबाब देहन्दागण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 202 व 198/1 की भूमि में से होकर कभी नहीं रहा हैं। बल्कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 199/3 में आवागमन का रास्ता मौके पर स्थित खसरा नम्बर 195 व 194 के उत्तरी-पश्चिमी तरफ स्थित रास्ते से होता हुआ चल रहा हैं, जो आज दिन तक मौके पर कायम हैं एवं प्रार्थी हमेशा से ही इसी खसरा नम्बर 195, 194 के उत्तरी-पश्चिमी तरफ स्थित आवागमन के रास्ते से ही अपने खेत खसरा नम्बर 199/3 में आवागमन करता रहा हैं। इसके अलावा यदि प्रार्थी जैतारण से तालकिया जाने वाली सडक से होकर के अपने खेत में नये सिरे से यदि आवागमन करना चाहे तो भी वह खसरा नम्बर 198 की भूमि से होकर के आवागमन कर सकता हैं। कारण कि खसरा नम्बर 198 की भूमि से होकर खसरा नम्बर 199/3 के मध्य की दूरी अत्यधिक कम हैं तथा उक्त रास्ता आम सडक से सबसे निकटस्थ व सुविधाजनक भी हैं। साथ ही खसरा नम्बर 198 के खातेदार एवं प्रार्थी स्वयं आपसी पारिवारिक सदस्य व रिश्तेदार भी हैं एवं मौके पर भी प्रार्थी खसरा नम्बर 198 के खातेदारों की सहमति से अपने खेत में आवश्यकतानुसार आवागमन भी करता रहा हैं। लेकिन प्रार्थी ने बदनियतीवश जबाब देहान्दागण को तंग व परेशान करने की नियत से एवं जबाब देहान्दागण की भूमि हडपने की नियत से खसरा नम्बर 202 की भूमि से होकर के अपना रास्ता क्लेम किया हैं, जो कतई गलत हैं। वास्तविकता में प्रार्थी खसरा नम्बर 202 की भूमि में से होकर के कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा हैं। जबाब देहान्दागण की भूमि खसरा नम्बर 202 व 198/1 की भूमि को शामलाती मिलाते हुये उसके चारों तरफ काफी बडी मिट्टी की खन्दक वर्षो पूर्व से लगाई जाकर उस पर कांटो की बाड की हुई हैं एवं खेतों के अन्दर जबाब देहान्दागण की फसल खडी हैं। जिसके मौका स्थिति के फोटो ग्राफ भी इस जबाब के साथ पेश किये जा रहे है। जिससे भी साबित हैं कि प्रार्थी का इन दोनों खसरा नम्बरान् की भूमि से होकर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा हैं। यहां पर यह भी उल्लेखनीय हैं कि प्रार्थी के पास न तो कोई मवेशी हैं न ही कभी रहे हैं। प्रार्थी ने बिना किन्हीं आधारो पर मौका स्थिति के विपरीत झूंठा नजरी नक्शा भी बनाकर के पेश किया हैं। जो कतई गलत हैं। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद बअसत्य होने से अस्वीकार हैं। पद संख्या 06 व 07 एवं अतरिक्त कथन असत्य हैं व खारिज फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। गै0सा0 संख्या 10 से 14 एवं 20, 21 को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 04 से 09 व 15 की ओर से ईकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, सा0मि0 हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की और से जवाब प्रा.पत्र में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 198/1 रकबा 02-05 बीघा व खसरा नम्बर 202 रकबा 11-08 बीघा की भूमि जवाब देहन्तागण की खातेदारी व कब्जा काश्त की हैं, जिस पर जवाब देहन्तागण का ही कब्जा एवं हक अधिकार हैं। खसरा नम्बर 199 के तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साबित करें,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लेकिन यहां पर यह उल्लेखनीय हैं कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 199 के सभी खातेदारों को दाव में पक्षकार नही बनाया हैं। जवाब देहन्तागण की भूमि ख.नं. 202 व 198/1 की भूमि मौके पर अलग से तरमीमसुदा आई हुई हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199/3 की भूमि जवाब देहन्तागण की भूमि के पश्चिम तरफ स्थित होने के कथन भी झूठे हैं, बल्कि वास्तविकता में जवाब देहन्तागण की खातेदारी भूमि के उत्तरी तरफ ख.नं. 199 की भूमि स्थित हैं। वास्तविकता में प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता जवाब देहन्तागण की कृषि भूमि ख0नं0 202 व 198/1 की भूमि में से होकर कभी नही रहा हैं, बल्कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 195, 194 के उत्तरी पश्चिमी तरफ स्थित रास्ते से होता हुआ चल रहा है। जो आज दिन तक मौके पर कायम हैं एवं प्रार्थी हमेशा से ही इसी खसरा नम्बर 195, 194 के उत्तरी पश्चिमी तरफ स्थित आवागमन के रास्ते से ही अपने खेत ख0नं0 199/3 में आवागमन करता हैं। इसके अलावा यदि प्रार्थी जैतारण से तालकिया जाने वाली सड़क से होकर अपने खेत में नये सिरे से यदि आवागमन करना चाहे तो भी वह खसरा नमबर 198 की भूमि से होकर के आवागमन कर सकता हैं। कारण कि ख.नं. 198 की भूमि से होकर ख.नं. 199/3 के मध्य की दूरी अत्यधिक कम हैं। उक्त रास्ता आम सड़क से सबसे निकटतम व सुविधाजनक है। मौके पर भी प्रार्थी खसरा नम्बर 198 के खातेदारों की सहमति से अपने खेत में आवश्यकतानुसार आवागमन करता रहा हैं। लेकिन प्रार्थी बदनियतिवश जवाब देहन्तागण को तंग व परेशान करने की नियत से एवं जवाब देहन्तागण की भूमि हड़पने की नियत से ख. नं. 202 की भूमि से होकर के अपना रास्ता क्लेम किया हैं, जो कतई गलत हैं। वास्तविकता में प्रार्थी का खसरा नम्बर 202 की भूमि में से होकर के कभी भी रास्ता नही रहा हैं। जवाब देहन्तागण की भूमि ख.नं. 202 व 198/1 की भूमि को शामलाति मिलाते हुये उसके चारों तरफव बड़ी मिट्टी की खन्दक वर्षों पूर्व से लगाई जाकर उस पर कांटो की बाड़ की हुइ हैं एवं खेतो के अन्दर जवाब देहन्तागण की फसल खड़ी हैं। प्रार्थी ने बिना किन्ही आधारों के मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा भी बनाकर के पेश किया हैं। जवाब देहन्तागण की भूमि ख.नं. 202 व 198/1 की भूमि से होकर सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक न तो कभी कोई रास्ता रहा है न ही वर्तमान में हैं। इसलिये रास्ते को बन्द करवा देने के आरोप भी इस वाद में कतई गलत लगाये हैं। मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर ख.नं. 202 व 199 को अलग अलग भूखण्डों में विभाजित होना दर्शाते हुये मार्क ए से बी अपना रास्ता दर्शाया है जबकि मौके पर ऐसा रास्ता नही हैं न ही कानूनन इस प्रकार का विभाजन जवाब देहन्तागण या अन्य किन्ही व्यक्तियों की भममियों का किया जाना अनुज्ञेय हैं इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2017/405 दिनांक 27/06/2017 को रास्ते की वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की, जिस पर अप्रार्थीगण का ऐतराज होने से पुनः आदेश क्रमांक/कोर्ट/2017/1270 दिनांक 20/11/2017 को लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2018/482 दिनांक 24/01/2018 को रास्ते की वर्तमान स्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं कि जिसमें मार्क A,B खसरा नम्बर 198/1 व 202 की सीमा पर हैं, जो कि एक ही खातेदारान प्रति0 संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि हैं। खसरा नम्बर 199/3 में जाने हेतु पूर्व रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता A,B,C हैं। जो कि 202 एवं 199 में होकर जाता हैं। जो कि खसरा नम्बर 202 में से 12 X 125 फिट एवं खसरा नम्बर 199 में से 330 X 12 फिट का रास्ता बन रहा हैं। अन्य विकल्प एवं प्रतिवादी के अनुसार, एक रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 198/1 की पश्चिमी माठ से होकर नजरी नक्शा में मार्क E,D,B,C हैं जो कि खसरा नम्बर 198/1 में 12 X 125 फिट एवं खसरा नम्बर 199 में से 495 X 12 फिट का रास्ता बन रहा हैं। उपरोक्त दोनों विकल्प में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हैं एवं वर्तमान में रास्ता नहीं चल रहा हैं। खसरा नम्बर 198/1 एवं 202 की डी.एल.सी. दर 471690 रू0 प्रति बीघा एवं खसरा नम्बर 199 की डी.एल.सी. दर 94390 प्रति बीघा हैं।

उक्त रास्ता भूमि से खसरा नम्बर 199/3 तक जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि 199/3 रकबा 12-16 बीघा में आने जाने हेतु रास्ता चाहा है। उक्त सम्बंध में मौके के अनुसार उक्त खेतो में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता नही है। मौके पर वर्तमान में आने जाने हेतु रास्ता चल रहा है। उक्त रास्ता लगभग 12 X 125 फिट का प्रस्तावित हैं, जो खसरा नम्बर 198/1 एवं 202 की भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौजूद नही है। नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया।

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 2015 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार -

" (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविध के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञान किया जा सकेगा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी के खेत में खड़ाई बुवाई हेतु आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया हैं कि खसरा नम्बर 198/1 एवं 202 में से रास्ता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 199/3 में प्रार्थी आ-जा सकते हैं। प्रार्थी को खसरा नम्बर 198/1 एवं 202 में रास्ता निकालने पर तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार 12 X 125 फीट का खसरा नम्बर 198/1 एवं 202 में से लिया जाकर रास्ता कायम किया जा सकता हैं। अन्य विकल्प एवं प्रतिवादी के अनुसार एक रास्ता खसरा नम्बर 198/1 की पश्चिमी माठ से होकर नजरी नक्शा में मार्क E,D,B,C हैं जो कि खसरा नम्बर 198/1 में 12 X 125 फिट एवं खसरा नम्बर 199 में से 495 X 12 फिट का रास्ता बन रहा हैं।

अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199/3 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198/1 में से 12 X 125 फिट यानि कि 0-02 बीघा एवं खसरा नम्बर 199 में से 495 X 12 फिट यानि कि 0-07 बीघा का सार्वजनिक रास्ता कायम किया जाना उचित रहेगा। उक्त खसरा नम्बर 198 की वर्तमान डी.एल.सी. रेट प्रति0 471690/- रू0 प्रति बीघा एवं खसरा न्मबर 199 की वर्तमान डी.एल.सी. रेट प्रति0 94390 रू0 प्रति बीघा हैं। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि आबादी के समीप होने से अधिकतम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए खसरा नम्बर 198/1 के 94338/- रू0 एवं खसरा नम्बा 199 के 66073/- रु प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 198/1 व 199 में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जावे एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील-जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 199/3 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198/1 में से 12 X 125 फिट यानि कि 0-02 बीघा एवं खसरा नम्बर 199 में से 495 X 12 फिट यानि कि 0-07 बीघा का सार्वजनिक रास्ता कायम किये जाने हेतु खसरा नम्बर 198/1 की वर्तमान डी.एल.सी. रेट प्रति0 471690/- रू0 प्रति बीघा एवं खसरा न्मबर 199 की वर्तमान डी.एल. सी. रेट प्रति0 94390 रू0 प्रति बीघा हैं। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि आबादी के समीप होने से अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए खसरा नम्बर 198/1 के 94338/- रू0 एवं खसरा नम्बा 199 के 66073/- रु प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 198/1 व 199 में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाते है एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner